राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांक प. 2(1)(27)कार्मिक/क–3/शि/16 जयपुर, दिनांक 2.6.2016

आदेश

श्री अनिल कुमार अग्रवाल, आरएएस, तत्कालीन अति. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 115/2016 अन्तर्गत धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13(1)(ए),(सी),(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व धारा 193, 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 30.5.2016 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री अनिल कुमार अग्रवाल, आरएएस को दिनांक 30.5.2016 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री अनिल कुमार अग्रवाल, आरएएस का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय शासन सचिव कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

(विवेक कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव प्रथम/द्वितीय, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग को श्री अनिल कुमार अग्रवाल के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री अनिल कुमार अग्रवाल को सुपुर्द करा कर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, आरएएस द्वारा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव